For GM/DY CAO

यू.पी. पावर कारपोरेशन कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट

शक्ति भवन विस्तार

१४-अशोक मार्ग,

लखनऊ -२२६ ००१

फोन २२८८१८७, फैक्स २२८८१६५

पत्रांक ७55 सीपीएफ ट्रस्ट/2006 दिनांक 12.04.2006

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ कानपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/
मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।

विषय अंशदयी भविष्य निधि योजना से आवरित अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान की निधि को ससमय प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

संख्या–3950/ट्रस्ट दिनांक 08.11.2004
संख्या 3776/सीपीएफ/04 दिनांक 10.08.2005

कृपया पार्श्वांकित पत्रों का अवलोकन करें । उल्लेखनीय है कि सन्दर्भगत पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त कारपोरेशन के अधिकरी एवं कर्मचारी जो अंशदायी भविष्यन निधि योजना से आवरित हैं का मासिक अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान जैसा कि U.P. Power Corporation Limited Contributory Provident Fund Rules 2004 में प्राविधानित हैं, प्रत्येक माह 7 तारीख तक (विगत माह का अंशदान) नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्रों में 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट' को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त निदेशक(वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 74–म0प्र0(वि0प्र0)/एफ–।।।/सीपीएफ दिनांक 05.05.2005 में भी अधोउद्धरित आदेश दिये गये थे–

> प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी इस तथ्य को सुनिश्चित एवं प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित सभी अधिकारी/कार्मिकों का निर्धारण अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान पूर्णतः ट्रस्ट को ससमय प्रेषित एवं जमा कराया गया है । सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा इसका मासिक अनुश्रवण एवं रिकन्सीलिएशन सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह देखा जा रहा है कि प्रश्नगत मद की धनराशि नियमित रूप से वांछित व्यवस्थानुसार एवं समय से प्रेषित नहीं की जा रही है । इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना से आवरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अंशदान के रूप में काटी गयी धनराशि तथा नियोक्ता के अंशदान की धनराशि विलम्बतम 7 तारीख तक ट्रस्ट को अवश्य उपलब्ध करा दी

जाय अन्यथा की स्थिति में ब्याज की क्षतिपूर्ति करने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी की होगी और सम्बन्धित फण्ड रूल्स के तहत विधिक कठिनाईयों के लिए ट्रस्ट किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि इसकी पूर्ण जवाबदेही भी सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी की होगी । **यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि जिस माह में प्रश्नगत धनराशि ट्रस्ट को उपलब्ध करायी जायेगी ठीक उसी माह से प्राप्त धनराशि पर ट्रस्ट द्वारा ब्याज की गणना की जायेगी ।**

अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक एवं नियोक्ता के अंशदान के मद की धनराशि को माहवार शिड्यूल के साथ प्रत्येक माह ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया जाय और यदि किसी कारणवश धनराशि प्रेषित किये जाने में विलम्ब हो गया है/हो जाता है तो सीपीएफ पर अनुमन्य ब्याज के साथ धनराशि प्रेषित की जाय अन्यथा उक्त धनराशि ट्रस्ट द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

(मनोज कुमार भगत)
कम्पनी सचिव

पत्रांक 855 /सीपीएफ ट्रस्ट/2006 तद्दिनांक 12.04.06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन),उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ कानपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ कानपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।

(मनोज कुमार भगत)
कम्पनी सचिव